न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना R.A.S
प्रकरण संख्या 09/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 भंवरलाल पिता मोहनलाल सोनी (स्वर्णकार) उम्र—वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

बनाम .... प्रार्थी

1 श्रीकिशन पिता गोकल कुमावत उम्र—वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 हरजी पिता धन्ना जाट उम्र—वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री विजय पाराशर———— प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
श्री शिवराज शर्मा——————अप्रार्थी संख्या 01, 02 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.02.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 25.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा पनोतिया पटवार मण्डल क्षेत्र देवरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 277 के खसरा संख्या 1559 रकबा 0.38 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1559 मे आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01, 02 की खातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01, 02 की आराजी संख्या 1224, 1223 एवं विपक्षी संख्या 03 भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 1559/2340, 1223/2384 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 1224, 1223, 1559/2340, 1223/2384 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 25.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। ————

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला—शाहपुरा

(2)

———अप्रार्थी क्रम 01, 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री शिवराज शर्मा द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का वर्षो से अप्रार्थीगण के खरारे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थी के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1559 में आने जाने के लिए वर्षो से बिलानाम खसरान 1552/2255, 1552/2356, 1554/2356, 1555/2337, 1556/2338, 1558/2339, 1559/2340 से होता हुआ निर्बाध पंहुच रहा है। जवाबदाता के खसरान 1224, 1223 में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थी की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त पहले से वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद है। जो राजकीय भूमि एवं प्रार्थनापत्र में संयोजित अप्रार्थीगण के अलावा अन्य कई खातेदारान के नाम पर दर्ज खसरान में से प्रस्तावित किया गया है।

तहसीलदार द्वारा मौजा पनोतिया प.ह.क्षेत्र देवरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरान संख्या 1224 रकबा 0.35 में से 0.0172 हैक्टयर (56.38 मीटर गुणा 3.04 मीटर/172 वर्गमीटर), अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी खसरान संख्या 1223 रकबा 0.32 में से 0.0172 हैक्टयर (56.38 मीटर गुणा 3.04 मीटर/172 वर्गमीटर) एवं भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 1559/2340 रकबा 0.06 में से 0.0080 हैक्टयर (13.1 मीटर गुणा 6.09 चौडाई/80 वर्गमीटर), आराजी संख्या 1223/2384 रकबा 0.15 में से 0.0134 हैक्टयर (22 मीटर गुणा 6.09 चौडाई/134 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि—

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :— प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। जवाबदाता ने बतौर वैकल्पिक मार्ग जवाब में किये गये जिक्र अनुसार प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1559 में आने जाने के लिए ———

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(3)

———वर्षो से बिलानाम खसरान 1552/2255, 1552/2356, 1554/2356, 1555/2337, 1556/2338, 1558/2339, 1559/2340 से आवागमन हो सकना अथवा किया जाना अवगत कराया है। लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग का सुचारू एवं निकटतम होना जवाबदाता ने राजस्व नक्शे के माध्यम से पूर्णतया साबित नही किया है।

2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।

3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त पहले से वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद है। जो राजकीय भूमि एवं प्रार्थनापत्र में संयोजित अप्रार्थीगण के अलावा अन्य कई खातेदारान के नाम पर दर्ज खसरान में से प्रस्तावित किया गया है। राजस्व/नजरी नक्शे तुल्नात्मक परीक्षण से वैकल्पिक मार्ग में राजकीय भूमि एवं अन्य खातेदारान का अत्यधिक रकबा प्रभावित हो रहा है। ओर जाहिर तौर वैकल्पिक मार्ग न तो प्रार्थी के लिए निकटतम है व न ही सुगमतम।

4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 6.09 के बजाय 4.57 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा पनोतिया प.ह.क्षेत्र देवरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरान संख्या 1224 रकबा 0.35 में से 0.0129 हैक्टयर (56.38 मीटर गुणा 2.28 मीटर/129 वर्गमीटर), अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी खसरान संख्या 1223 रकबा 0.32 में से 0.0129 हैक्टयर (56.38 मीटर गुणा 2.28 मीटर/129 वर्गमीटर) एवं भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 1559/2340 रकबा 0.06 में से 0.0060 हैक्टयर (13.1 मीटर गुणा 4.57 चौडाई/60 वर्गमीटर), आराजी संख्या 1223/2384 रकबा 0.15 में से 0.0101 हैक्टयर (22 मीटर गुणा 4.57 चौडाई/101 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम
नोतिया पटवार मण्डल क्षेत्र देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी
ब्रसरान संख्या 1224 रकबा 0.35 में से 0.0129 हैक्टयर (56.38 मीटर गुणा 2.28 मीटर/129 वर्गमीटर), अप्रार्थी
ख्या 02 की खातेदारी खसरान संख्या 1223 रकबा 0.32 में से 0.0129 हैक्टयर (56.38 मीटर गुणा 2.28
टर/129 वर्गमीटर) एव भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 1559/2340 रकबा 0.06 में से 0.0060 हैक्टयर
3.1 मीटर गुणा 4.57 चौडाई/60 वर्गमीटर), आराजी संख्या 1223/2384 रकबा 0.15 में से 0.0101 हैक्टयर (22
टर गुणा 4.57 चौडाई/101 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग
ायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, 02 (आराजी संख्या 1224, 1223 के
मान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा 0.0258
टेयर (258 वर्गमीटर) मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 90,637/–रूपये ———

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला–शाहपुरा

(4)

इसी प्रकार से राज्य कोष में (आराजी संख्या 1559/2340, 1223/2384 के वर्तमान खातेदार) रकबा [illegible]टेयर मालियत राशि की दो गुना राशि कुल 37,707/—रूपये अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी [illegible]।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले [illegible]यालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला, शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां-शाहपुरा